

कार्यालय

उपनिदेशक

फायर सर्विस

मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र।

पत्रांक:- 21 / डी0डी0 / फा0स0 / मेरठ-17(2) / 2017

दिनांक: फरवरी 25 2017

सेवा में,

मुख्य वास्तुविद नियोजक,
नौएडा प्राधिकरण सेक्टर-06
गौतमबुद्धनगर।

विषय: मैसर्स एलिसिट रियलटैक प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0-एस0सी0-01/सी0-ए07, सेक्टर-150, नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन की प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: यूआईडी:2017/27625/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/6267/डी0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर से किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज-2 श्री संजीव कुमार यादव द्वारा किया गया तो उनके द्वारा अपनी आख्या दिनांक: 10-02-2017 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर श्री रामराजा यादव को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 11-02-2017 के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:- प्रश्नगत भवन का पार्सल एरिया-13,000 वर्ग मी0 जिसमें प्रस्तावित 03 अदद टावरों का फ्लोरवाईज एरिया विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम टावर	प्रस्तावित तलों विवरण	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	स्टेयर की संख्या व चौड़ाई मी0।	ऊँचाई मी0।
1	टावर-डी0	02बेस0, स्टिल्ट+भूतल एवं 15 तल	768.10	685.734	02 अदद 1.5/1.25	50.85
2	टावर-ई0	02बेस0, स्टिल्ट+भूतल एवं 15 तल	650.98	590.789	02 अदद 1.5/1.25	50.85
3	टावर-एफ0	02बेस0, स्टिल्ट+भूतल एवं 15 तल	653.86	476.591	02 अदद 1.5/1.25	50.85
4	रो हाऊस-07	स्टिल्ट+03	974.66	-	01 अदद .90 मीटर।	13.650

बेसमेन्ट:- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन में डबल बेसमेन्ट प्रस्तावित है जिसमें लोअर बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया-8842.69 वर्ग मी0। एवं अपर बेसमेन्ट कवर्ड एरिया-9248.86 वर्ग मी0 है। तथा बेसमेन्ट की छत अग्निशमन वाहनों की आवश्यकताओं हेतु 45 टन भार वहन क्षमता की बनायी जानी अनिवार्य है।

भवन का अधिभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी0-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:-

1-**पहुँच मार्ग:-** भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 30.00 मीटर मानको के अनुसार अंकित की गई है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश/निकरस द्वार जिनकी चौड़ाई 06.00 मी0 एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्रस्तावित है।

2-**सैटबेक:-** प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-12.00 मी0।

बी0-पृष्ठ भाग-07.50 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-07.50 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-07.50 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा तथा टावरों के चारों ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3-**निकास मार्ग:-** प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में तालिका के अनुसार स्टेयरकेस प्रस्तावित है तथा बेसमेन्ट में 02 रैम्प प्रस्तावित निकास मार्गों की फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है इण्टरनल स्टेयरकेस का निर्माण एन0बी0सी0 के भाग-4 के बिन्दु संख्या-4.9 से 4.9.10 तक तथा एक्सटर्नल स्टेयरकेस का निर्माण एन0बी0सी0 के भाग-4 के बिन्दु संख्या-4.11 से 4.11.11 तक के अनुसार एवं रैम्प का निर्माण एन0बी0सी0 के भाग-4 के बिन्दु संख्या-4.14.1 से 4.14.3 के अनुसार किया जायेगा।

4-**रिफ्यूज एरिया:-** भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ-**अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:-** एन0बी0सी0 2005 एवं यथा संशोधित 2015 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वाँच्छनीय है।

1-**भूमिगत:-** प्रश्नगत भवन में 1,50,000 लीटर क्षमता के 02 अदद भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

2-**पम्पस:-** प्रत्येक भूमिगत टैंक के पास 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का 01 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने प्राविधानित है जिनका हैड भवन की ऊँचाई के सापेक्ष होना अनिवार्य होगा।

3-**टेरिस टैंक:-** प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 हजार ली0 स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

4-**होजरील:-** प्रस्तावित भवन में प्रत्येक टावर में प्रत्येक तल पर होजरील एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

- 5-डाउनकामर:- प्रस्तावित भवन में प्रत्येक टावर में डाउनकामर का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।
- 6-वेटराइजर:- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम का वेटराइजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0-3844 मानको के अनुसार प्राविधानित है।
- 7-यार्ड हाईड्रेण्टस:- प्रस्तावित भवन में रिंग लाइन तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार प्राविधानित है।
- 8-ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट सहित समस्त तलो पर ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार प्राविधानित है।
- 9-ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:- प्रश्नगत भवन में सम्पूर्ण तलो पर ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वाँछनीय है।
- 10-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।
- 11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0- 2190 के अनुसार वाँछनीय है।
- 12-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत भवन में स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।
- 13-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो में एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।
- 14-पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो में पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।
- 14-कम्पार्टमेन्टेशन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वाँछनीय है।
- 15-प्रेशराइजेशन:- प्रश्नगत भवन में आवश्यक स्थानों पर प्रेशराइजेशन एनबी0सी0 के भाग-4 के बिन्दु संख्या-4.10 से 4.10.7 के निर्देशानुसार किया जायेगा।
- 15-प्रश्नगत भवन में इमरजेन्सी/स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0-2005 पार्ट-4 में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।
- 16-भवन में निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट-4 के प्रस्तर सी0-5,सी-6,सी-7,सी-8 एवं सी-9 में उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।
- 17-भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफ्ट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा श्रोत से पृथक विद्युत लाइन संयोजित किया जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन में फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वाँछनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स एलिसिट रियलटैक प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0-एस0सी0-01/सी0-ए07, सेक्टर-150, नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र।

(अमन शर्मा)
अग्नि निदेशक, फायर सर्विस
मेरठ/सहायनपुर परिक्षेत्र।

प्रतिलिपि: 1-संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सादर सूचनार्थ।

3-अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज-2 जनपद गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

4-मैसर्स एलिसिट रियलटैक प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0-एस0सी0-01/सी0-ए07, सेक्टर-150, नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ में अनुपालनार्थ।